बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान –841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154–242099 (कार्या0)
06154–242860 (कार्या0)
06154–242098 (आवास)
06154–242348 (फैक्स)
email: dm-siwan.bih@nic.in

जिला पदाधिकारी, सीवान की अध्यक्षता में दिनांक–03.02.2020 को जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हुई साप्ताहिक समन्वय (Coordination) बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया और उसके बाद बिन्दुवार समीक्षा निम्न प्रकार की गईः–

1.1–**विधि शाखा**– समीक्षा करने पर लंबित एम0जे0सी0 / सी0डब्लू0जे0सी0 की स्थिति निम्नवत पायी गयीः–

क्र0	एम0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	एम0जे0सी0 नं0– 1749 / 19 विश्वनाथ बांसफोड़ बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	प्र0वि0पदाधिकारी, रघुनाथपुर	नजारत उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि प्र0वि0पदा0 से बात की गई है और उन्हें तुरंत एस0ओ0एफ0 जमा करने का निदेश दिया गया है।
2	एम0जे0सी0 नं0– / 19 लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	सिविल सर्जन,सीवान	एक सप्ताह के अंदर एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।
3	एम.0जेसी0 नं0– / 19 मसो0 रेवती कुँवर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचलाधिकारी, दरौली	एक सप्ताह के अंदर एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।
4	एम0जे0सी0 नं0– / 19 अजीत कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला प्रबंधक, बि0 रा0 खाद्य निगम, सीवान	एक सप्ताह के अंदर एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।
5	एम0जे0सी0 नं0– / 19 चन्द्रमा प्रसाद यादव उर्फ चन्द्रमा चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	नजारत उप समाहर्ता,सीवान	एक सप्ताह के अंदर एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।
6	एम0जे0सी0 नं0– / 19 राज किशोर राम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	नजारत उप समाहर्ता,सीवान	एक सप्ताह के अंदर एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।
7	एम0जे0सी0नं0–5396 / 19 राजेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचलाधिकारी, महाराजगंज	एक सप्ताह के अंदर एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।

1.2–बताया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय–सीमा के अंदर तथ्य विवरणी दाखिल किया जाना आवश्यक है :–

क्र0	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0– / 19 मैनेजर यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	उप विकास आयुक्त / प्र0वि0पदा0 दरौली	बताया गया कि प्र0वि0पदा0 से बात हो गयी है और उनके द्वारा इस सप्ताह में एस0ओ0एफ0 भेजने का आश्वासन दिया गया है।
2	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0– / 19 परशुराम सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचलाधिकारी, बड़हरिया	संबंधित पदाधिकारी से बात कर अविलम्ब एस0ओ0एफ0 मांगने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा को दिया गया।
3	सी0डब्लू0जे0सी0 सं0– / 19 प्रदीप साह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	प्र0वि0पदा0, महराजगंज / जि0 पंचा0पदा0	एक सप्ताह के अंदर एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।
4	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0:– / 19 भगवान जी भरत बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जि0पंचा0 पदा0, सीवान	एक सप्ताह के अंदर एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।
5	सी0डब्लू0जे0सी0नं0–21890 / 19 सियाराय राम बनाम बिहार राज्य	स्थापना उप समाहर्ता /	एक सप्ताह के अंदर एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।

	एवं अन्य	प्र0वि0पदा0 लकड़ी नबीगंज	
6	सी0डब्लू0जे0सी0 नं0– 10239/17 सत्येन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	अंचलाधिकारी, भगवानपुर	एक सप्ताह के अंदर एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।
7	एल0पी0ए0 नं0– /19 बिनोद कुमार सिन्हा	स्थापना उप समाहर्ता	एक सप्ताह के अंदर एस0ओ0एफ0 तैयार कर भेजने का निदेश दिया गया।

सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डो के वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत रूचि लेते हुए वे नियमित रूप से लंबित एम0जे0सी0/सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के मामलों की समीक्षा करें और यह प्रयास करें कि निर्धारित समय–सीमा के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल हो जाय। अपर समाहर्ता को अंचल अधिकारी के स्तर पर एवं उप विकास आयुक्त को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर पर लंबित एम0जे0सी0/सी0डब्लू0जे0सी0 की समीक्षा कर लंबित एस0ओ0एफ0 अविलम्ब भेजवाने का निदेश दिया गया। **(अनु0–सभी जिलास्तरीय पदा0)**

2–लोक शिकायत निवारण:– बताया गया कि कोई समस्या नहीं है।

3–आर0टी0पी0एस0– बताया गया कि कोई समस्या नहीं है।

4–विद्युत :– बताया गया कि कोई समस्या नहीं है।

5–बाढ़ नियंत्रण:– बताया गया कि अभी कोई समस्या नहीं है।

6–सामान्य शाखा–

6.1–बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग–बताया गया कि बिहार मानवाधिकार आयोग का अभी कोई मामला लंबित नही है।

6.2–राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग–बताया गया कि वर्त्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अभी कोई मामला लंबित नहीं है।

6.3–राष्ट्रीय एवं बिहार अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग:–बताया गया कि अभी कोई मामला लंबित नहीं है।

6.4–बिधान सभा/विधान परिषद/लोक सभा प्रश्न–बताया गया कि निम्नलिखित विधान सभा/विधान परिषद/लोक सभा प्रश्न अभी लम्बित हैं:–

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम,जिन्हें पत्र प्रतिवेदन भेजा गया	अभ्युक्ति
1	श्री हरिशंकर यादव, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–ख–845 के आलोक में सरकारी उत्तर में सनहित में आश्वासन के 503/18 के संबंध में।	1037 दि0 6.6.19 एवं स्मार पत्र सं0 1990 दि0 20.09.19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
2	बिहार विधान परिषद के 117वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 ई0–254 का प्रश्नोत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।	2338/सा0 दि0 22.11.19	जिला योजना पदाधिकारी, सीवान	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
3	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, मा0 स0वि0स0 द्वारा प्राप्त निवेदन सं0– 3381/19 की उत्तर सामग्री के संबंध में।	पत्रांक 2285 दि0 18.11.19	उप विकास आयुक्त, सीवान	तुरंत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
4	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–08.07.19 को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं0– गृह–78 के सिलसिले में प्राप्त आश्वासन सं0–276/19 के संबंध में।	79/सा0 दि– 11.01.20	प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा,सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
5	श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन सं0–1249/17 के संबंध में।	80/सा0 दि0 11.01.20	अपर समाहर्ता, सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।

6.5–बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोगः– बताया गया कि अभी कोई मामला लंबित नहीं है।

6.6–लोकायुक्त,बिहार– बताया गया कि लोकायुक्त,बिहार से संबंधित निम्नलिखित मामले लंबित हैं, जिसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को स्मार दिया गया हैः–

क्र0	विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हें पत्र प्रतिवेदन भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	परिवाद सं0–2/लोक (राजस्व) 59/2010 में दर्ज वाद में माननीय सदस्य (न्यायीक) लोकायुक्त बिहार द्वारा दिनांक 07.01.2019 को पारित आदेश के अनुपालन मे दिनांक 31.03.2019 तक के सभी संबंधित सेवानिवृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये सेवानिवृति लाभो के भुगतान से संबंधित पूर्ण ब्यौरा एवं पेंशन अदालत लगाये जाने के संबंध में।	566/स्था0 दिनांक 13.07. 2019	स्थापना उप समाहर्ता, सीवान	बताया गया कि लोकायुक्त द्वारा इस मामले मे सुनवाई 30.4.20 को की जाएगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को दिनांक–31. 12.19 तक सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्त लाभ का भुगतान कर प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में स्थापना उप समाहर्ता को उपलब्ध करायें।
2	परिवाद सं0–2/लोक (राजस्व) 22/19 में दर्ज श्री उपेन्द्र ठाकुर, सेवानिवृत उच्च वर्गीय लिपिक , प्रखण्ड कार्यालय, गुठनी की पेंशन पुस्तिका खोलने एवं पेंशन को नियमित करने के संबध मे।	59/सा0 दिनांक–09.01. 20	स्थापना उप समाहर्ता,सीवान	स्मार देने का निदेश दिया गया।
3	परिवाद सं0–2/लोक(शिक्षा) 80/18–फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षिका के पदना नौकरी करने एवं वेतन प्राप्त करने के संबंध में।	2564/सा0 वि0 24.12.19	अनु0पदा0, सीवान सदर	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों को इन मामलों को गंभीरता से लेने एवं समय पर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

7–विविधः–

7.1–सी0एम0डैश बोर्ड– बताया गया कि सी0एम0 डैश बोर्ड से सम्बंधित प्राप्त परिवादो को संबंधित पदाधिकारियों को भेज दिया गया हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र0	पदाधिकारी का पदनाम, जिन्हे पत्र भेजा गया	जॉच हेतु भेजे गए कुल पत्रों की सं0	जॉच के बाद प्राप्त प्रतिवेदन की सं0	प्रतिवेदन हेतु लंबित मामलों की संख्या	अनुपालन प्रतिवेदन अपलोड किए गए मामलों की संख्या	प्रतिवेदन समर्पित किन्तु अनुपालन अप्राप्त मामलों की सं0	कुल लम्बित मामलों की सं0
1	पुलिस अधीक्षक, सीवान	06	01	05	06	01	05
2	अपर समाहर्ता, सीवान	114	108	06	108	00	06
3	कार्य0पदाधिकारी, नगर परिषद,	06	06	00	05	01	01
4	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0 एस0, सीवान	08	06	02	04	02	04
5	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सीवान	35	29	06	29	00	06
6	जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान	17	15	02	15	00	02
7	जिला कृषि पदाधिकारी, सीवान	05	04	01	04	00	01
8	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	12	09	03	09	00	03
09	जिला सहकारिता पदाधिकारी,	01	01	00	00	01	01
10	उप विकास आयुक्त,सीवान	30	29	01	29	00	01
11	भूमि सुधार उप समाहर्ता, महाराजगंज	01	00	01	00	00	01
12	सिविल सर्जन, सीवान	04	02	02	02	00	02
13	प्र0 पदाधिकारी उर्दू कोषांग,	01	00	01	00	00	01
	कुल योग–	232	204	28	202	02	30

सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि लंबित सभी मामलों का त्वरित निष्पादन कर अनुपालन प्रतिवेदन निश्चित रुप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अलावे आई0टी0 मैनेजर को अगली बैठक से CP Gram पर प्राप्त मामलों का विवरण भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि उसकी भी समीक्षा हो सके।
(अनु0–सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर)

7.2–सेवान्त लाभः– बताया गया कि सेवान्त लाभ से संबधित मामले की सुनवाई लोकायुक्त द्वारा की गई है और इस मामले में अगली सुनवाई दिनांक–30.04.20 को होगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को दिनांक 31.01.20 तक सेवा निवृत हुए कर्मियों के सेवान्त लाभ का भुगतान करके जिला स्थापना शाखा को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि सेवान्त लाभ के ससमय भुगतान की जिम्मेदारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की है। यदि वे बिना ठोस कारण के भुगतान लंबित रखते है तो वे जिम्मेदार माने जायेंगे और उन्हें ही लोकायुक्त के समक्ष जाकर अपना पक्ष रखना होगा। **(अनु0–सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,सीवान/स्थापना उप समाहर्त्ता,सीवान)**

7.3–नोवल कोरोना वायरसः– सिविल सर्जन,सीवान एवं डब्लू0एच0ओ0 के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को नोवल कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि पड़ोसी देश चीन में नोवेल कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है और इसके कारण अबतक 305 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है और करीब 14,500 लोग संक्रमित है। भारत में भी अबतक 2 कन्फर्म केस मिला है। जानकारी दी गयी कि इस वायरस को मारने वाली अबतक कोई दवा नहीं बनी है, इसलिए सावधानी ही बचाव है। इस रोग का लक्षण बुखार, खांसी,सांस लेने में तकलीफ है। खुद को और दूसरों को बीमार होने से बचाने के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतने का सुझाव दिया गयाः–

- यदि आपने हाल ही में चीन की यात्रा की हो (पिछले 14 दिनों के भीतर) या किसी nCoV संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क हुआ हो तो अपनी वापसी के बाद 14 दिनों तक घर पर एकांत में रहें और अलग कमरे में सोऐं।
- परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क सीमित करें और लोगों से दूरी बनाए रखें।
- खांसते और छींकते समय नाक और मुँह ढक लें।
- ठंढ या फ्लू जैसे लक्षणों वाले किसी व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से बचें। (किसी भी व्यक्ति से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें)
- घर पर सभी हर समय हाथों की स्वच्छता का ध्यन रखें और हाथ धोकर रखें (**छींकने या खांसने के बाद, बीमार की देखभाल करते समय, खाना बनाने के दौरान, पहले और बाद में, खाने से पहले, शौच के बाद, हाथ गंदा होने पर, जानवरों या जानवरों के अवशिष्ट को संभालने के बाद**)
- यदि चीन से लौटने के 28 दिनों के भीतर बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई होती है तो तुरंत मास्क पहने और निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र को रिपोर्ट करें, घबराएँ नहीं।

बैठक में बताया गया कि इस बीमारी के संबंध में अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कंट्रोल रुम नं0– 91–11–23978086 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मियों को इस बारे में जानकारी दी दें ताकि उनके माध्यम से आम जनता में जागरुकता पैदा हो सके।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

03.02.2020

जिलाधिकारी, सीवान

ज्ञाप सं0– 382/सी0 दिनांक– 04 वीं फरवरी,2020 ई0

प्रतिलिपि–पुलिस अधीक्षक,सीवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–उप विकास आयुक्त,सीवान/अपर समाहर्ता,सीवान/निदेशक,लेखा प्रशासन एव स्वनियोजन,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,सीवान/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,सीवान/सिविल सर्जन,सीवान/ सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल पदाधिकारी,सीवान,महाराजगंज/भूमि सुधार उप समाहर्ता,सीवान,महाराजगंज/समाहरणालय की सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान/ महाराजगंज/वरीय कोषागार पदाधिकारी,सीवान/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/ सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों/ कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/डी0आई0ओ ,सीवान/ सभी कोषांगो के नोडल पदाधिकारी/आई0टी0मैनेजर, सीवान/ District Technical Officer, Care India को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

03.02.2020

जिलाधिकारी, सीवान